



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23062025-264060
CG-DL-E-23062025-264060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2708]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2025/आषाढ़ 2, 1947

No. 2708]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ASHADHA 2, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2025

सं. 19/2025-26

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 28 के तहत सीटीएच 2843 के अंतर्गत शामिल मदों की आयात नीति में संशोधन—के संबंध में।

का.आ. 2774(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, की धारा 3 और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 28 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. निम्नलिखित आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

आईटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति
2843	कोलाइडियल कीमती धातुएं; कीमती धातुओं के अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक, चाहे रसायनिक रूप से परिभाषित हो अथवा नहीं हो; कीमती धातुओं के मिश्रण		
284310	— कोलाइडियल कीमती धातु	मुक्त	प्रतिबंधित
28431010	---- सोने का	मुक्त	प्रतिबंधित
28431020	---- चांदी का	मुक्त	प्रतिबंधित
28431090	---- अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित
28432100	— चांदी के यौगिक: — सिल्वर नाइट्रेट	मुक्त	प्रतिबंधित
28432900	— चांदी के यौगिक: — अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित
28433000	— सोने के यौगिक	मुक्त	प्रतिबंधित
284390	अन्य यौगिक; मिश्रण		
28439011	---- अन्य यौगिक: — सोडियम ऑरोस थिओसल्फेट	मुक्त	प्रतिबंधित
28439012	---- अन्य यौगिक: — प्लैटिनस के उत्कृष्ट धातु विलयन, किग्रा. 10: — रोडियम और पेल्लाडियम	मुक्त	प्रतिबंधित
28439019	---- अन्य यौगिक: — अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित
28439020	---- मिश्रण	मुक्त	प्रतिबंधित

अधिसूचना का प्रभाव:

सीटीएच 2843 के अंतर्गत शामिल मदों की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से "मुक्त" से संशोधित कर "प्रतिबंधित" किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया गया है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम-11/पीसी-2[ए]/भाग-V/ई-8876]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2025

No. 19/2025-26

Subject: Amendment in Import Policy of items covered under CTH 2843 under Chapter 28 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy) -reg.

S.O. 2774(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments under Chapter 28 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy), with immediate effect.

2. The Import Policy of the following ITC (HS) codes is amended as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Existing Import Policy	Revised Import Policy
2843	Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals.		
284310	- Colloidal precious metals		
28431010	--- Of gold	Free	Restricted
28431020	--- Of silver	Free	Restricted
28431090	--- Other	Free	Restricted
28432100	- Silver compounds : -- Silver nitrate	Free	Restricted
28432900	- Silver compounds : -- Other	Free	Restricted
28433000	- Gold compounds	Free	Restricted
284390	Other compounds; amalgams		
28439011	--- Other compounds: ---- Sodium aurous thiosulphate	Free	Restricted
28439012	--- Other compounds: ---- Noble metal solutions of platinum, kg. 10% - rhodium and palladium	Free	Restricted
28439019	--- Other compounds: ---- Other	Free	Restricted
28439020	--- Amalgams	Free	Restricted

Effect of the Notification:

The Import Policy of items covered under CTH 2843 is revised from “Free” to “Restricted”, with immediate effect.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/Part-V /E-8876]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.